

12-12-22

**पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन
अधिकाारी महोदय राजकीय कार्य में
व्यस्त है। इकतया होकर पत्रावली
दिनांक 19.01.2023 को पेश हो।
१५७**

19.01.2023

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 3, 5, 6/1 व 6/2 के वकील उपस्थित।

वकील विप्रार्थी जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस में ही अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं।

बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस है कि ग्राम पादरडी कल्ला तहसील सिवाना की खसरा संख्या 120 व 137 कुल रकबा 9.1945 हैक्टेयर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी की है उक्त भूमि रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से विप्रार्थी बिना विविध बंटवाडा किये मौके पर पक्का निर्माण करने एवं अजनबी केतागण को बेचान कर प्रार्थीगण द्वारा उपजाऊ बनाई गई भूमि पर उन्हें काबिज करने एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उताऊ है। जबकि संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक भूभाग पर प्रत्येक खातेदार का हक निहित होता है। अतः विप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जावे कि वे विवादित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें और मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 3, 5 6/1, 6/2 की बहस है कि विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जाकाशत की हैं। प्रार्थी वकील का यह कथन सही है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक भाग पर हक निहित होता है, किन्तु किसी एक पक्ष को, उसके स्थगन के जरिये उसके खातेदारी हकों के उपयोग-उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। विप्रार्थी भी प्रार्थी के साथ विवादित भूमि के सहखातेदार होने से अपनी हिस्से की भूमि पर माफिक बाहमी बंटवाडा एवं कब्जाकाशत विकास कार्य करने की अधिकारिता रखते हैं। विवादित भूमि के जहां तक विभाजन का प्रश्न है, माफिक बाहमी बंटवाडा एवं कब्जाकाशत विप्रार्थी राजस्व रिकार्ड में भूमि पृथक किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः ताफैसला मूल वाद प्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे विप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग में बाधाएं नहीं डालें तथा उनके हिस्से व कब्जाकाशत की भूमि में हस्तक्षेप नहीं करें।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन एवं तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 6 विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा माफिक हक हिस्सा अपनी भूमि का विकास एवं उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रार्थीगण का यह कथन सही है कि सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर हक होता है और कोई भी पक्ष किसी विशिष्ट भूभाग का हस्तांतरण नहीं कर सकता, किन्तु अपने वास्तविक हिस्सों की सीमा तक भूमि का बेचान किये जाने से उसे प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता और न उसे स्थगन के जरिये अपने हिस्से की भूमि का विकास करने से रोका जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होते हैं और किसी एक पक्ष को उसके स्वत्व के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है।

लिहाजा न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन दिनांक 07.04.2021 निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना